

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2486
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती

2486. श्री उमेशभाई बाबूभाई पटेल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए निर्धारित मौजूदा पात्रता मानदंडों के कारण स्थानीय भाषा (गुजराती माध्यम) से शिक्षित पात्र उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ हैं और यदि हां, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी शिक्षक भर्ती अधिसूचनाओं तथा निर्धारित पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दमण और दीव में गुजराती माध्यम के सरकारी स्कूलों को धीरे-धीरे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में परिवर्तित किया जा रहा है और यदि हां, तो ऐसे परिवर्तन के नीतिगत आधार क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे स्कूलों की स्तर-वार संख्या कितनी है; और

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार मातृभाषा-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए सरकार की नीति और कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है और दमण और दीव में वर्तमान में गुजराती माध्यम के कार्यरत सरकारी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। तदनुसार, सरकारी स्कूलों में भर्ती के लिए पात्रता मानदंड के निर्धारण सहित शिक्षकों की भर्ती संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्र में आती है।

संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान दमन और दीव में किसी भी सरकारी गुजराती माध्यम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में परिवर्तित नहीं किया गया है।

संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में गुजराती माध्यम के 41 सरकारी स्कूल और अंग्रेजी माध्यम के 16 सरकारी स्कूल हैं। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के प्रावधानों को लागू करता है, जिसमें विशेष रूप से आधारभूत और प्रारंभिक चरणों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा के उपयोग पर बल दिया गया है, जबकि बहुभाषावाद और स्थानीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। वर्तमान में, दमन और दीव में गुजराती-माध्यम और अंग्रेजी-माध्यम के कार्यरत सरकारी स्कूलों की जिलावार संख्या निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	ज़िला	सरकारी स्कूलों की संख्या	
		गुजराती माध्यम	अंग्रेजी माध्यम
1	दमन	28	09
2	दीव	13	07
कुल		41	16

स्रोत: यूडाइज+ 2025-26
